एकल पीठ सिविल प्रथम अपील सं. 15/2009

16.9.2016

मानननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री आलोक चतुर्वेदी,
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता डॉ. श्री पी सी जैन, उपस्थित ।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि उन्होंने आज कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अत: कार्यालय को निर्देश दिये जाते हैं कि यदि अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तो उस प्रार्थना पत्र को पत्रावली में संलग्न किया जावे।

न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 6.9.16 के तहत प्रत्यर्थी सं. 3 महावीर रस्तोगी, प्रत्यर्थी सं. 4 आदित्य शर्मा व प्रत्यर्थी सं. 4 के पिता श्री सुधीर शर्मा आज न्यायालय में उपस्थित नहीं है।

अत: प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता की प्रार्थना के आधार पर उपरोक्त दोनों प्रत्यर्थीगण दिनांक 30.9.2016 को मध्यस्थता केन्द्र के समक्ष उपस्थित रहे।

मध्यस्थता केन्द्र को निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारों के मध्य पूर्व में हुए राजीनामे की रोशनी में प्रत्यर्थी सं. 3 व प्रत्यर्थी सं. 4 की सहमति व असहमति बाबत तथ्य रिकोर्ड कर के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि न्यायालय के समक्ष पक्षकारों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

एम.शर्मा/10

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते